

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50

FIFTY
RUPEES
Rs. 50

भारत

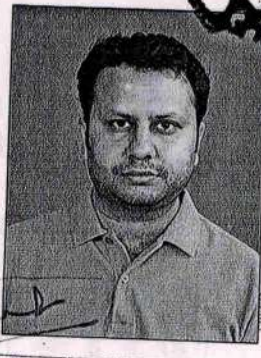
सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 235246



Reema Rawat

बिल्डर एग्रीमेंट मय कब्जा सहित

गौतम रावत पुत्र स्व० श्री ललित मोहन रावत निवासी 45, महात्मा गाँधी रोड तहसील व जिला आगरा..... मालिक जमीन / प्रथमपक्ष

एवं

मै.र्स बृज इन्फाटेक रियल एस्टेट डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्रीमती रीमा रावत पत्नी श्री गौतम रावत पुत्र स्व० श्री ललित मोहन रावत व गौतम रावत पुत्र श्री ललित मोहन रावत निवासीगण 45, महात्मा गाँधी रोड तहसील व जिला आगरा द्वितीयपक्ष है।

विदित हो कि एक किता जमीन व तादाद 2221.20 वर्गमीटर मिनजुमला खसरा नं० 923मि० व 924मि० व 926मि० व 928मि० वाकै मोजा बोदला तहसील व जिला आगरा कि जिसकी हदूद व पैमाईश इस प्रकार है जानिब पूरब 42.22 मीटर पश्चिम 42.02 मीटर व उत्तर 52.97 मीटर दक्षिण 51.62 मीटर और जिसके पूरब में प्लाट दीगर व पश्चिम में रास्ता 30 मीटर चौड़ा व उत्तर में जमीन अनन्त हाउसिंग व दक्षिण में जमीन प्रथम पक्ष है। कि जिसके सम्पूर्ण मालिक व होने इन्द्राज कागजात वकालत माल के प्रथम पक्ष चले आते हैं और प्रथम पक्ष का ही नाम सरकारी अभिलेखों में वहैसियत मालिक के इन्द्राज चला आता है और द्वितीय

FB/203/13
3/7/13

Gautam Rawat

Reema Rawat

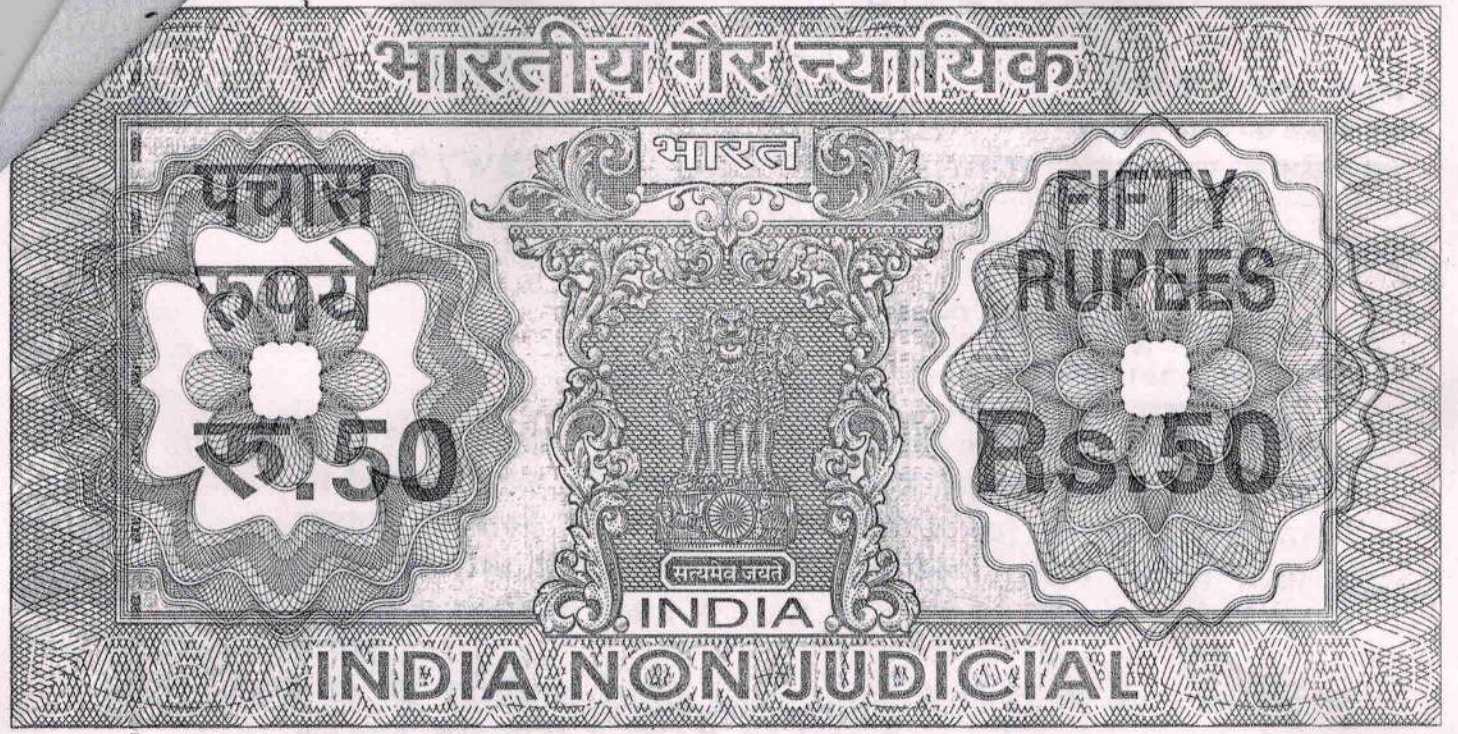
For Brij Intra Tech Real Estate Developers

31-7-13

स्टाम्प की धनराशि.....

सदर तहसील, आगरा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 235247

2

पक्ष ने उक्त जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत निर्माण कराने के लिए कहा और प्रथम पक्ष भी अपनी उक्त जमीन पर निर्माण कराने के लिए पूर्णतः रजामंद हो गये लिहाजा प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच बहुमंजिला निर्माण कराने की बाबत निम्न शरायत तय करार पायी है:-

1. यह कि कितना जमीन व तादाद 2221.20 वर्गमीटर मिनजुमला खसरा नं० 923मि० व 924मि० व 926मि० व 928मि० वाकै मोजा बोदला तहसील व जिला आगरा के सम्पूर्ण मालिक प्रथम पक्ष है व रहेंगे
2. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनायेंगे कि जो छह मंजिला नक्शे के अनुसार बनायी जायेगी और अगर आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्रदान हो जाती है तो उस पर एक या दो मंजिला और भवन निर्माण कराया जा सकेगा
3. यह कि द्वितीय पक्ष ने उक्त जमीन पर जो नक्शा पास कराया है वह प्रथम पक्ष के नाम से स्वीकृत हुआ है और नक्शा स्वीकृत कराने में जो भी खर्चा हुआ है और जो भी खर्चा डवलपमेंट चार्ज का या आगरा विकास प्राधिकरण की फीस का जो भी खर्चा वहन हुआ है उसको द्वितीय पक्ष ने वहन किया है
4. यह कि बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराने में जो भी सामग्री उपयोग होगी वह द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।
5. यह कि नक्शा स्वीकृत होने के बाद जो भी आगरा विकास प्राधिकरण में नक्शे में संशोधन कराने होंगे वह केता द्वितीय पक्ष कम्पनी ही करायेगी।
6. यह कि उक्त जमीन पर उक्त फर्म जब भी बहुमंजिला इमारत का निर्माण करा लेगी और निर्माण के बाद जो भी फ्लैट का भूमि अंश फ्लैट मालिक को प्राप्त होगा उस भूमि अंश की बाजारी कीमत के हिसाब से प्रथम पक्ष उस रुपया को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और सम्पूर्ण फ्लैट की कीमत में से जमीन की कीमत काटकर जो रुपया बचेगा व द्वितीय पक्ष प्राप्त करेंगे।

Tantay Rawat

FOR JUDICIAL USE ONLY

Reema Rawat

Tantay Rawat

2478

31.7.13

स्टाम्प बिक्रय का तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन तहसील

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता गोविंद रावत

2477

स्टाम्प की धनगः

50/2

स्वदेश कुमारी स्टाम्प विमोचन

ला0 न. 161, अवधि 31 मार्च 2017

सदर तहसील, आगरा

7. यह कि बहुमंजिला निर्माण कराने में कोई भी अड़चन या बाधा या रूकावट या किसी भी तरह की न्यायालय की तरफ से कोई रूकावट पैदा होती है तो उसको दूर करने की व उसको दूर करने में जो भी खर्चा होगा उसकी जिम्मेदारी उक्त द्वितीय पक्ष उक्त फर्म की होगी। प्रथम पक्ष को किसी भी खर्च से व किसी भी विवाद से किसी भी प्रकार का ताल्लुक व सरोकार नहीं होगा।

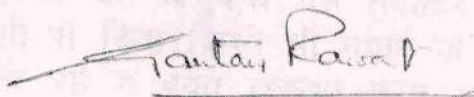
8. यह कि बहुमंजिला इमारत निर्माण कराने में किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नल पानी व बिजली का सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग से प्राप्त करना होगा उसको उक्त फर्म द्वितीय पक्ष प्राप्त करेगा व उसको फर्म के नाम प्राप्त करने का अधिकार होगा।

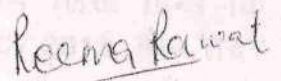
9. यह कि उक्त बहुमंजिला इमारत में जब भी फ्लैट बिकी की अवस्था में हो जायेगे और बहुमंजिला इमारत में जो भी फ्लैट बिकी होगा उसी समय प्रथम पक्ष को अपनी भूमि अंश अनुसार व द्वितीय पक्ष को अपनी भूमि अनुसार रूपया प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

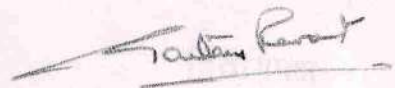
यह कि बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराने के बाद सर्विस टैक्स व वैंट या अन्य कोई भी टैक्स लगेगा उसको द्वितीय पक्ष उक्त फर्म ही जमा करेगी और बहुमंजिला इमारत में जब भी फ्लैट बिकी होगा उस समय जो भी रूपया एडवांस प्राप्त होगा वह द्वितीय पक्ष उक्त फर्म अपने ही पास रखेगी।

FB/203/13
31/7/13









10. यह कि उपरोक्त जमीन की सर्किल रेट 16,000/- सोलह हजार रुपया प्रतिवर्गमीटर निर्धारित है इसलिये उपरोक्त जमीन की कुल कीमत 3,55,29,200/- रुपया बनती है जिसमें से प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से एक लाख रुपया एडवांस बतौर प्राप्त कर लिये हैं और शेष रुपया जमीन के भू-अंश के अनुसार प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष से बैनामा के समय प्राप्त करते रहेंगे।

11. यह कि बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराने में जो भी लाभ व हानि होगी वह द्वितीय पक्ष ही वहन करेगे प्रथम पक्ष को केवल अपनी भूमि अंश अनुसार बाजारी कीमत से भूमि की कीमत प्राप्त करने का अधिकार होगा।

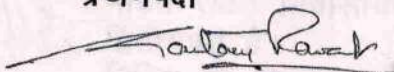
12. यह कि अगर उक्त जमीन पर बहुमंजिला निर्माण होते समय अगर प्रथम पक्ष के पारिवारिक व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रुकावट की जाती है या भारी व्यक्ति द्वारा कोई भी रुकावट उत्पन्न होती है तो उसको दूर करने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी और उसमें जो खर्चा होगा वह द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

13. यह कि द्वितीय पक्ष को पूर्ण अधिकार है कि वह इमारत का निर्माण कराने के लिए किसी भी बैंक संस्था या बैंक से ऋण प्राप्त कर ले।

14. यह कि उक्त जमीन पर बहुमंजिला इमारत निर्माण करने का नक्शा प्रथम पक्ष पर स्वीकृत है।

लिहाजा यह अनुबन्ध पत्र (बिल्डर एग्रीमेंट) दोनों पक्षों ने अपनी राजी व खुशी से बिना किसी भी दवाब के बिना सिखाये व बहकाये लिख दिया कि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे तहरीर तारीख 31.07.2013 ई0 सदर तहसील आगरा

प्रथमपक्ष

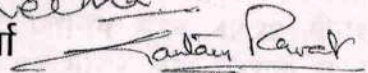


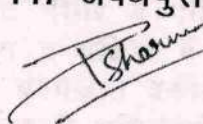
द्वितीयपक्ष

For Brij Indira Trust, Partner, Developers



गवाह :- प्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री प्रभूशंकर शर्मा
निवासी 147 अवधपुरी आगरा



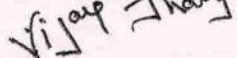


ATTESTED

गवाह :- विजय झाँझी पुत्र श्री जवाहरलाल झाँझी
निवासी 176 ए बालूगंज आगरा

SHRI MISHAN

Advocate



Notary, Agra